HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 16191/2010

Jaiboonissa Alias Jaiboon

----Petitioner

Versus

State Of Raj And Ors

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. N.K. Singhal with Mr. Bantoo Mali Ms. Surbhi Singhal
For Respondent(s)	:	Mr. Archit Bohra

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

<u>Order</u>

<u>19/02/2026</u>

प्रकरण में अनुलग्न A/1 से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता के पति मृतक कार्मिक अब्दुल रशीद के संदर्भ में संबंधित विभाग द्वारा उसकी 15 वर्ष 3 माह 21 दिन की अनुपस्थिति की अवधि को नियमित किए जाने हेतु एवं मृतक कार्मिक के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 17.06.2009 को प्रत्याहरित कर लिया गया था। उक्त आदेशिका से यह भी प्रकट हुआ है कि मृतक कार्मिक के संदर्भ में राजस्थान सेवा नियम के नियम 23(1)(ख) के अनुसार पत्रावली संबंधित राज्यपाल महोदय के स्तर पर अनुमोदन करने हेतु पत्रावली प्रेषित की गई थी और राज्य सरकार से इस संदर्भ में अनुमोदन पारित हो गया, परंतु राज्यपाल महोदय को अनुमोदनार्थ पत्रावली प्रस्तुत करने के उपरांत उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही निष्पादित नहीं हो पाई है।

इस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि उक्त आदेशिका के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्रावली को नियम 23(1)(ख) के अनुसार राज्यपाल महोदय के यहां पुनः प्रेषित किए जाने की कार्यवाही शीघ्र निष्पादित कर दी जावेगी।

इस संदर्भ में उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशिका के अनुसरण में तीन माह की अवधि

में नियमानुसार पत्रावली को अनुमोदन हेतु राज्यपाल महोदय के यहां भेजकर युक्तियुक्त आदेश पारित करें।

प्रकरण तीन माह उपरांत सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR /58